न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 760/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 568/14)
दायरा दि0 19/03/2014

उनवान

भूरीलाल पुत्र नंदा जाति बंजारा निवासी नयागांव बंजारान तह0 खानपुर
—— वादी

बनाम्

1. हरला पुत्र अमरा जाति धाकड़ नि0 दुर्जनपुरा तह0 खानपुर मृतक का0मु0
   1/1 कंचनबाई पत्नि हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
   1/2 महावीर पुत्र हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
   1/3 देवकिशन पुत्र हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
   1/4 धापूबाई पुत्री हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
   1/5 उर्मिला पुत्री हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
   1/6 भूरी पुत्री हरला जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तह0 खानपुर
2. देवा पुत्र अमरा जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा हाल नाहरगढ़त्र
3. डालू पुत्र भावसिंह जाति बंजारा निवासी नयागांव बंजारान तह0 खानपुर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

—— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 63(iv), 88, 89, 91, 183, 188 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– श्री इन्दरलाल गुप्ता अधिवक्ता – वादी
श्री संजय गौतम अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 29/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 63(iv), 88, 89, 91, 183, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम दुर्जनपुरा के माल की नई जमाबंदी सं0 92 की ख0नं0 33 की 0.08 बीघा, ख0नं0 89 की 6.11 बीघा, ख0नं0 90 की 4.13 बीघा कुल 11.12 बीघा आराजी स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी सं0 2015–18 में इसके ख0नं0 83/35 रकबा 11.02 बीघा थे और यह अमरा पुत्र घांसी धाकड़ के खाते दर्ज थी। इस आराजी पर दीपा, धन्ना बंजारा पिता पीरू बंजारा निवासी नयागांव बंजारान का कब्जा था। उक्त कब्जा बहैसियत उप कृषक जमाबंदी में दर्ज हो रहा है। अमरा के खाते में सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा आराजी भी दर्ज थी। उक्त आराजी पर नाथू पुत्र भैरू बंजारा का कब्जा बहैसियत उप कृषक दर्ज था। उक्त आराजी दिनांक 15.11.1996 को इंतकाल नं0 137

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

से नाथू के खाते सरकार द्वारा दर्ज कर दी गई थी, परंतु ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी उस समय धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने से रह गई थी। जमाबंदी में भी जैली दर्ज हो रहा है। अमरा खाते की आराजी को छोडकर गांव से फरार हो गया था। इसलिये उसके विरूद्ध फरारी की कार्यवाही हो गई थी, जिसका नोट जमाबंदी सं0 2015–18 के खाना नं0 16 में दर्ज हो रहा है। अमरा की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी हरला, देवलाल पुत्र अमरालाल के खाते दर्ज हो गई। हरला देवलाल प्रतिवादी ने दिनांक 04.06.1975 को दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही धारा 180 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत की थी, जिसमें उसने यह लिखा था कि अप्रार्थीगण दीपा, धन्ना उन्हें करता मुनाफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह आराजी उनके पिता अमरा ने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी करता मुनाफे से जुपाई थी। अतः कब्जा दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र बाद तहकीकात दिनाक 13.12.1978 को खारिज कर दिया गया। नकल प्रार्थना–पत्र, जवाब, निर्णय, डिक्री व बयान हरला पेश है। धन्ना दीपा की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के एक पुत्र नंदा था, जिसकी भी मृत्यु हो गई है। नंदा का पुत्र भूरीलाल वादी है। धन्ना के कब्जे में पुराने ख0नं0 83/35–37 की 11.02 बीघा आराजी में से 6.11 बीघा आराजी थी। शेष आराजी दीपा के वारीसान के कब्जे में है। वादी के कब्जे की आराजी के नये ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा बना है। इस पर धन्ना के जीवनकाल में धन्ना का तथा उसके मरने के बाद धन्ना के पुत्र नंदा का तथा नंदा की मृत्यु के बाद से वादी भूरीलाल का कब्जा चला आ रहा है। धन्ना का कब्जा 15.10.55 को जमाबंदी में उप कृषक की हैसियत से दर्ज था। अतः राज0 टीनेंसी एक्ट लागू होने पर धन्ना को उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो गये हैं तथा पूर्व खातेदारान हरला देवा के अधिकार समाप्त हो गये है।

खातेदारान का दावा कब्जे लेने बाबत् दिनांक 13.12.1978 को खारिज हो गया। अतः उक्त दिनांक के बाद से वादी के दादा धन्ना एवं उसके पुत्र नंदा व वादी का कब्जा लगातार ओपन एवं होस्टाईल रूप से लगातार बइल्म प्रतिवादी देवा, हरला व हरला के वारिसान प्रतिवादीगण के चला आ रहा है। अतः कब्जा मुखालफाना के अनुसार भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा देवा हरला के अधिकार समाप्त हो गये हैं। लगभग अरसा 8 वर्ष पूर्व वादी को रूपयों की जरूरत होने से वादी ने 30000/–रू0 प्रतिवादी डालू पत्र भावसिंह से उधार लिये थे और अपनी ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी 5 वर्ष के लिये उसे जुपाई थी। इन 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वादी ने प्रतिवादी डालू से जमीन का कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वह इंकार हो गया। वादी जेल में बंद हो गया, उसकी हालत का फायदा उठाकर प्रतिवादी डालू ने प्रतिवादी हरला देवा पर एक दावा उपखण्ड अधिकारी खानपुर में दिनांक 06.02.2009 को धारा 88, 89, 91, 209 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश कर दिया और चुपके से दिनांक 24.02.2009 को डिक्री करा लिया जिसकी वादी द्वारा तथा हरला, देवा द्वारा अपील करने पर फैसला उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 29.10.2010 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांण्ड कर दिया गया जो अभी चल रहा है, उसका नं0 543/11 है। डालू प्रतिवादी ने अपने दावें में स्वंय को धन्ना, दीपा के परिवार व उत्तराधिकारी बताकर अपना कब्जा उसी के आधार पर मानकर खातेदारी का दावा पेश किया है, जबकि डालू, धन्ना दीपा के परिवार में नहीं आता है। वादी ही धन्ना का एक मात्र पुत्र व वारिस है। वादी द्वारा अंतिम बार प्रतिवादी हरला के वारीसान व देवा से

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

आराजी वादी के खाते लगान व डालू से कब्जा छोड़ने की कहने तथा उसके इंकार हो जाने से दिनांक 14.05.2013 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। वादी को ग्राम दुर्जनपुरा की ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावे। साथ ही प्रति0 1 लगा0 3 का नाम रेवेन्यू रेकार्ड जमाबंदी से काटा जावे तथा प्रति0 डालू को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रति0 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वह ग्राम दुर्जनपुरा की ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी पर भविष्य में कब्जा नहीं करें। आराजी रहन बैचान नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 1/1 लगा0 1/6, 2, 4 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रति0नं0 3 डालू की ओर से श्री संजय गौतम एडवोकेट ने जवाबदावा पेश किया कि ग्राम दुर्जनपुरा की खतौनी सं0 92 की ख0नं0 33 की 0.08 बीघा, ख0नं0 89 की 6.11 बीघा, ख0नं0 90 की 4.13 बीघा कुल 11.12 बीघा पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही कोई काश्त की है, जबकि वर्णित आराजी पर अपने पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है, जिसके कारण प्रति0नं0 1 व 2 खातेदारा के समस्त अधिकार प्रतिवादी डालू में निहित हैं और एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी डालू खातेदार है और कब्जा काश्त कर रहा है। वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर विवादित बिन्दूओं पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वाद की मद नं0 1 वर्णित आराजी के सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा थे। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व अमरा पुत्र घासी धाकड़ के खाते दर्ज थी ? — वादी

2. आया पुराने ख0नं083/35 की 11.02 बीघा आराजी पर दीपा धन्ना बंजारा पिता पीरू बंजारा निवासी नयागांव बंजारान का कब्जा था। उक्त कब्जा बहैसियत उप कृषक जमाबंदी में दर्ज हो रहा है ? — वादी

3. आया अमरा के खाते में सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा आराजी भी दर्ज थी। उक्त आराजी पर नाथू पुत्र भैरू बंजारा का कब्जा बहैसियत उप कृषक दर्ज था। उक्त आराजी दिनांक 15.11.1961 को इंत0नं0 137 से नाथू के खाते सरकार द्वारा दर्ज कर दी गई थी, परंतु ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी उस समय धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने से रह गई थी। जमाबंदी में भी जेली दर्ज हो रहा है ? — वादी

4. आया अमरा खातेदार आराजी को छोडकर गांव से फरार हो गया था इसलिये उसके विरूद्ध फरारी की कार्यवाही हो गई थी, जिसका नोट जमाबंदी सं0 2015-18 के खाता सं0 16 में दर्ज हो रहा है तथा अमरा की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी उसके पुत्र हरला, देवलाल पुत्र अमरलाल के खाते दर्ज हो गयी ?

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

— वादी

5. आया हरला देवलाल प्रतिवादी ने दिनांक 04.06.1975 को दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही धारा 180 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत की थी, जिसमें उसने यह लिखा था कि अप्रार्थीगण दीपा, धन्ना उन्हें करता मुनाफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह आराजी उनके पिता अमरा ने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी करता मुनाफे से जुपाई थी। अतः कब्जा दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र बाद तहकीकात दिनाक 13.12.1978 को खारिज कर दिया गया ? — वादी

6. आया धन्ना दीपा की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के एक पुत्र नंदा था, जिसकी भी मृत्यु हो गई है। नंदा का पुत्र भूरीलाल वादी है। धन्ना के कब्जे में पुराने ख0नं0 83/35–37 की 11.02 बीघा आराजी में से 6.11 बीघा आराजी थी। शेष आराजी दीपा के वारीसान के कब्जे में है। वादी के कब्जे की आराजी के नये ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा बना है। इस पर धन्ना के जीवनकाल में धन्ना का तथा उसके मरने के बाद धन्ना के पुत्र नंदा का तथा नंदा की मृत्यु के बाद से वादी भूरीलाल का कब्जा चला आ रहा है ? — वादी

7. आया धन्ना का कब्जा 15.10.55 को जमाबंदी में उप कृषक की हैसियत से दर्ज था। अतः राज0 टीनेंसी एक्ट लागू होने पर धन्ना को उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो गये हैं तथा पूर्व खातेदारान हरला देवा के अधिकार समाप्त हो गये है ? — वादी

8. आया खातेदारान का दावा कब्जे लेने बाबत् दिनांक 13.12.1978 को खारिज हो गया। अतः उक्त दिनांक के बाद से वादी के दादा धन्ना एवं उसके पुत्र नंदा व वादी का कब्जा लगातार ओपन एवं होस्टाईल रूप से लगातार बइल्म प्रतिवादी देवा, हरला व हरला के वारिसान प्रतिवादीगण के चला आ रहा है। अतः कब्जा मुखालफाना के अनुसार भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा देवा हरला के अधिकार समाप्त हो गये हैं ? — वादी

9. आया लगभग अरसा 8 वर्ष पूर्व वादी को रूपयों की जरूरत होने से वादी ने 30000/–रू0 प्रतिवादी डालू पत्र भावसिंह से उधार लिये थे और अपनी ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी 5 वर्ष के लिये उसे जुपाई थी। इन 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वादी ने प्रतिवादी डालू से जमीन का कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वह इंकार हो गया। वादी जेल में बंद हो गया, उसकी हालत का फायदा उठाकर प्रतिवादी डालू ने प्रतिवादी हरला देवा पर एक दावा उपखण्ड अधिकारी खानपुर में दिनांक 06.02.2009 को धारा 88, 89, 91, 209 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश कर दिया और चुपके से दिनांक 24.02.2009 को डिकी करा लिया जिसकी वादी द्वारा तथा हरला, देवा द्वारा अपील करने पर फैसला उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 29.10.2010 को निरस्त कर दिया ? — वादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

10. आया डालू प्रतिवादी धन्ना दीपा का किसी प्रकार भी उत्तराधिकारी नहीं है ? वादी ही धन्ना का एक मात्र पुत्र व वारीस है ? — वादी

11. आया वादी को दिनांक 14.05.2013 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ ? — वादी

12. आया प्रति0नं0 4 डालू का कब्जा आरजी मुतनाजा पर अपने पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसके कारण प्रति0नं0 1 व 2 के समस्त अधिकार प्रति0नं0 4 में निहित हो गये हैं और एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रति0नं0 4 खातेदार बन गया है और आराजी पर काबिज है ? — प्रतिवादी

वादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में Pw1 स्वंय भूरीलाल के व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp16 प्रदर्श कराये। साक्ष्य वादी बंद की जाकर अधिवक्ता प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने 4 अवसर के बाद भी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा दिनांक 3.07.2019 को भी साक्ष्य का अवसर चाहा गया, जिसका अधिवक्ता वादी ने यह कहते हुये विरोध किया कि वाद वर्ष 2014 से लम्बित है, वादी गरीब बंजारा जाति का है तथा अधिवक्ता प्रतिवादी अवसर लेकर वाद को लम्बित रख कर वादी को न्याय से वंचित रखना चाहते हैं। इस पर अधिवक्ता प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गयी। अधिवक्ता उभय पक्ष की सहमति से वाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम दुर्जनपुरा की ख0नं0 33 की 0.08 बीघा, ख0नं0 89 की 6.11 बीघा, ख0नं0 90 की 4.13 बीघा कुल 11.12 बीघा स्थित है, जिसके सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 83/35 रकबा 11.02 बीघा थे और यह अमरा पुत्र घांसी धाकड़ के खाते दर्ज थी। इस पर दीपा, धन्ना बंजारा पिता पीरू बंजारा निवासी नयागांव बंजारान का कब्जा था। उक्त कब्जा बहैसियत उप कृषक जमाबंदी में दर्ज हो रहा है। अमरा के खाते में सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा आराजी भी दर्ज थी। उक्त आराजी पर नाथू पुत्र भैरू बंजारा का कब्जा बहैसियत उप कृषक दर्ज था। यह आराजी दिनांक 15.11.1996 को इंतकाल नं0 137 से नाथू के खाते सरकार द्वारा दर्ज कर दी गई थी, परंतु ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी उस समय धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने से रह गई थी। जमाबंदी में भी जैली दर्ज हो रहा है। अमरा खाते की आराजी को छोड़कर गांव से फरार हो गया था। इसलिये उसके विरूद्ध फरारी की कार्यवाही हो गई थी, जिसका नोट जमाबंदी सं0 2015–18 के खाना नं0 16 में दर्ज हो रहा है। अमरा की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी हरला, देवलाल पुत्र अमरालाल के खाते दर्ज हो गई। हरला, देवलाल प्रतिवादी ने दिनांक 04.06.1975 को दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही धारा 180 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत की थी, जिसमें उसने यह लिखा था कि अप्रार्थीगण दीपा, धन्ना उन्हें करता मुनाफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह आराजी उनके पिता अमरा ने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी करता मुनाफे से जुपाई थी। अतः कब्जा दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र बाद तहकीकात दिनाक 13.12.1978 को खारिज कर दिया गया। धन्ना दीपा की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के एक पुत्र नंदा था, जिसकी भी मृत्यु हो गई है। नंदा का पुत्र भूरीलाल

उपखण्ड अधिकारी
जानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

वादी है। धन्ना के कब्जे में पुराने ख0नं0 83/35–37 की 11.02 बीघा आराजी में से 6.11 बीघा आराजी थी। शेष आराजी दीपा के वारीसान के कब्जे में है। वादी के कब्जे की आराजी के नये ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा बना है। इस पर धन्ना के जीवनकाल में धन्ना का तथा उसके मरने के बाद धन्ना के पुत्र नंदा का तथा नंदा की मृत्यु के बाद से वादी भूरीलाल का कब्जा चला आ रहा है। धन्ना का कब्जा 15.10.55 को जमाबंदी में उप कृषक की हैसियत से दर्ज था। अतः राज0 टीनेंसी एक्ट लागू होने पर धन्ना को उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो गये हैं तथा पूर्व खातेदारान हरला, देवा के अधिकार समाप्त हो गये हैं। खातेदारान का दावा कब्जे लेने बाबत् दिनांक 13.12.1978 को खारिज हो गया। ऐसे में उक्त दिनांक के बाद से वादी के दादा धन्ना एवं उसके पुत्र नंदा व वादी का कब्जा लगातार ओपन एवं होस्टाईल रूप से लगातार बइल्म प्रतिवादी देवा, हरला व हरला के वारिसान प्रतिवादीगण के चला आ रहा है। अतः कब्जा मुखालफाना के अनुसार भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं देवा हरला के अधिकार समाप्त हो गये हैं। लगभग 8 वर्ष पूर्व वादी को रूपयों की जरूरत होने से वादी ने 30000/–रू0 प्रतिवादी डालू पत्र भावसिंह से उधार लिये थे और अपनी ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी 5 वर्ष के लिये उसे जुपाई थी। इन 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वादी ने प्रतिवादी डालू से जमीन का कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वह इंकार हो गया। वादी जेल में बंद हो गया, उसकी हालत का फायदा उठाकर प्रतिवादी डालू ने प्रतिवादी हरला देवा पर एक दावा उपखण्ड अधिकारी खानपुर में दिनांक 06.02.2009 को धारा 88, 89, 91, 209 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश कर दिया और चुपके से दिनांक 24.02.2009 को डिक्री करा लिया जिसकी वादी द्वारा तथा हरला, देवा द्वारा अपील करने पर फैसला उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 29.10.2010 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांण्ड कर दिया गया जो अभी चल रहा है, उसका नं0 543/11 है। डालू प्रतिवादी ने अपने दावें में स्वंय को धन्ना, दीपा के परिवार व उत्तराधिकारी बताकर अपना कब्जा उसी के आधार पर मानकर खातेदारी का दावा पेश किया है, जबकि डालू, धन्ना दीपा के परिवार में नहीं आता है। वादी ही धन्ना का एक मात्र पुत्र व वारिस है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान कराकर दावे को साबित कराया है। वहीं प्रति0 नं0 1/1 लगा0 1/6, 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं तथा प्रति0नं0 3 ने पर्याप्त अवसर के बाद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः वादी को ग्राम दुर्जनपुरा की ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रति0 1 लगा0 3 का नाम रेवेन्यू रेकार्ड जमाबंदी से काटा जावे और प्रति0नं0 3 डालू को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रति0 नं0 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वह भविष्य में इस आराजी पर कब्जा नहीं करें और आराजी को रहन बैचान नहीं करें। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस आर.बी.जे.(15)2008 पेज नं0 41 नेतराज एण्ड अदर्स बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2008(2)अनूपकंवर एण्ड अदर्स बनाम् प्रेमकंवर एण्ड अदर्स की नजीरें भी पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी अपनी बहस में जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा और न ही कोई काश्त की है। इस जमीन पर पूवर्जों के जमाने से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है, एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रति0नं0 4 खातेदार है और कब्जा काश्त कर रहा है। वादी का दावा मय खर्चा खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार किया गया :–

1. आया वाद की मद नं0 1 वर्णित आराजी के सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा थे। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व अमरा पुत्र घांसी धाकड़ के खाते दर्ज थी ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खाता सं0 2 पर ख0नं0 81/24 की 0.01 बीघा, ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा, ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा कुल 3 किता की 15.03 बीघा आराजी अमरा बेटा घांसी का जात धाकड़ बासगांव नाहरगढ़ तह0 किशनगंज खातेदार दर्ज हैं। इस जमाबंदी के का0नं0 12 में ख0नं0 81/24 पर उप कृषक सुक्खा कड़ते पर, ख0नं0 83/35 पर उपकृषक दीपा, धन्ना कड़ते पर, ख0नं0 65/38 पर उप कृषक नाथू बंजारा कड़ते पर दर्ज है। इससे साबित होता है कि ख0नं0 83/35 की आराजी सेटलमेंट से पूर्व 11.02 बीघा थी और यह अमरा पुत्र घांसी के खाते दर्ज थी। ऐसे में यह तनकी पक्ष में वादी के व खिलाफ प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

2. आया पुराने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी पर दीपा धन्ना बंजारा पिता पीरू बंजारा निवासी नयागांव बंजारान का कब्जा था। उक्त कब्जा बहैसियत उप कृषक जमाबंदी में दर्ज हो रहा है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खाता सं0 2 पर ख0नं0 81/24 की 0.01 बीघा, ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा, ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा कुल 3 किता की 15.03 बीघा आराजी अमरा बेटा घांसी का जात धाकड़ बासगांव नाहरगढ़ तह0 किशनगंज खातेदार दर्ज हैं। इस जमाबंदी के का0नं0 12 में ख0नं0 81/24 पर उप कृषक सुक्खा कड़ते पर, ख0नं0 83/35 पर उपकृषक दीपा, धन्ना कड़ते पर, ख0नं0 65/38 पर उप कृषक नाथू बंजारा कड़ते पर दर्ज है। इससे साबित होता है कि ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी पर दीपा, धन्ना का कब्जा था व जमाबंदी में बहैसियत उप कृषक दर्ज हो रहा है। Exp7 नकल खसरा गिरदारी सं0 2009 से 2012, Exp8 नकल गिरदावरी सं0 2016 से 2019 में ख0नं0 83/35–37 पर दीपा, धन्ना का कब्जा दर्ज है। Exp10 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032 से 2035 में ख0नं0 89 की 6.11 बीघा व ख0नं0 90 की 4.13 बीघा में जैली धन्ना वल्द पीरू बंजारा अंकित है। इसी प्रकार Exp11 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2051 से 2052, Exp12 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2059 से 2062, Exp13 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2045 से 2046, Exp14 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2055 से 2058, Exp15 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2063 से 2066 में भी फसल काश्त हुई होती रही है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी पर दीपा, धन्ना का कब्जा साबित होने से यह तनकी पक्ष में वादी के व खिलाफ प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

3. आया अमरा के खाते में सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा आराजी भी दर्ज थी। उक्त आराजी पर नाथू पुत्र भैरू बंजारा का कब्जा बहैसियत उप कृषक दर्ज था। उक्त आराजी दिनांक 15.11.1961 को इंत0नं0 137 से नाथू के खाते सरकार द्वारा दर्ज कर दी गई थी, परंतु ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी उस समय धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने से रह गई थी। जमाबंदी में भी जेली दर्ज हो रहा है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खाता सं0 2 पर ख0नं0 81/24 की 0.01 बीघा, ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा, ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा कुल 3 किता की 15.03 बीघा आराजी अमरा बेटा घांसी का जात धाकड़ बासगांव नाहरगढ़ तह0 किशनगंज खातेदार दर्ज हैं। इस जमाबंदी के का0नं0 12 में ख0नं0 81/24 पर उप कृषक सुक्खा कड़ते पर, ख0नं0 83/35 पर उपकृषक दीपा, धन्ना कड़ते पर, ख0नं0 65/38 पर उप कृषक नाथू बंजारा कड़ते पर दर्ज है। साथ ही इस जमाबंदी में यह नोट अंकित है " आज्ञा तहसील 15.11.61 तहत कार्यवाही इंतकाल 137–नाथू पुत्र भैरू बंजारा का ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार मिले " इस जमाबंदी में ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने का नोट अंकित नहीं है। इससे साबित होता है कि यह आराजी धन्ना दीपा के खाते दर्ज होने से रह गई थी, जबकि जमाबंदी में यह जेली दर्ज हो रहा है। इस प्रकार साबित होने से यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

4. आया अमरा खातेदार आराजी को छोड़कर गांव से फरार हो गया था इसलिये उसके विरूद्ध फरारी की कार्यवाही हो गई थी, जिसका नोट जमाबंदी सं0 2015–18 के खाता सं0 16 में दर्ज हो रहा है तथा अमरा की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी उसके पुत्र हरला, देवलाल पुत्र अमरलाल के खाते दर्ज हो गयी ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खाता सं0 2 पर ख0नं0 81/24 की 0.01 बीघा, ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा, ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा कुल 3 किता की 15.03 बीघा आराजी अमरा बेटा घांसी का जात धाकड़ बासगांव नाहरगढ़ तह0 किशनगंज खातेदार दर्ज हैं। इस जमाबंदी में यह नोट अंकित है कि " अमरा खातेदार की फरारी का इंतकाल नं0 130 खुल रहा है, मिसल नं0 3 डाक नं0 2571 पर कारवाई चल रही है। व डाक नं0 168 दि0 16.2.59 को फिर दुबारा नकल पेश की गई। " साथ ही Exp9 नकल नामा0सं0 130 ग्राम दुर्जनपुरा खातेदार अमरा बेटा घांसी की आराजी 15.03 बीघा का है, जो दिनांक 21.04.57 को तस्दीक किया गया है कि बहाजरी इ.नं. 541 पेश होकर फरार हो जाना तस्दीक हुआ है। Exp10 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032 से 2035 में ख0नं0 89 की 6.11 बीघा व ख0नं0 90 की 4.13 बीघा में जैली धन्ना वल्द पीरू बंजारा अंकित है। साथ ही यह नोट भी दर्ज है कि इंतकाल नं0 17 से हरलाल, देवा पुत्र अमरा धाकड़ का नाम दर्ज हुआ। इससे साबित हो जाता है कि खातेदार अमरा के खिलाफ फरारी की कार्यवाही की गयी है तथा अमरा के फौत होने पर यह आराजी उसके पुत्र हरला, देवलाल पुत्र अमरलाल के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार इस

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

तनकी को वादी ने बखूबी साबित किया है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

5. आया हरला देवलाल प्रतिवादी ने दिनांक 04.06.1975 को दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही धारा 180 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत की थी, जिसमें उसने यह लिखा था कि अप्रार्थीगण दीपा, धन्ना उन्हें करता मुनाफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह आराजी उनके पिता अमरा ने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी करता मुनाफे से जुपाई थी। अतः कब्जा दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र बाद तहकीकात दिनाक 13.12.1978 को खारिज कर दिया गया ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Exp2 नकल दावा धारा 180 आर.टी.एक्ट 1955, Exp3 नकल जवाब दावा दीपा धन्ना बंजारा, Exp4 नकल निर्णय दिनांक 13.12.78 न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा दावा हरलाल देवलाल पिसरान अमरलाल धाकड़ बनाम दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा, Exp5 नकल डिकी दिनांक 13.12.78 न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा दावा हरलाल देवलाल पिसरान अमरलाल धाकड़ बनाम दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा, Exp6 नकल बयान हरलाल पुत्र अमरलाल धाकड़ निवासी हाल नाहरगढ़ से यह साबित होता है कि हरला देवलाल प्रतिवादी ने दिनांक 04.06.1975 को दीपा धन्ना पुत्र पीरू बंजारा के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही धारा 180 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत की थी, जिसमें उसने यह लिखा है कि अप्रार्थीगण दीपा, धन्ना उन्हें करता मुनाफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह आराजी उनके पिता अमरा ने ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी करता मुनाफे से जुपाई थी। अतः कब्जा दिलाया जावे। यह वाद बैरून मियाद होने व वाद कारण साबित नहीं होने से दिनांक 13.12.78 को खारिज हुआ है। इस प्रकार यह तनकी साबित होने से वादी के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

6. आया धन्ना दीपा की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के एक पुत्र नंदा था, जिसकी भी मृत्यु हो गई है। नंदा का पुत्र भूरीलाल वादी है। धन्ना के कब्जे में पुराने ख0नं0 83/35–37 की 11.02 बीघा आराजी में से 6.11 बीघा आराजी थी। शेष आराजी दीपा के वारीसान के कब्जे में है। वादी के कब्जे की आराजी के नये ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा बना है। इस पर धन्ना के जीवनकाल में धन्ना का तथा उसके मरने के बाद धन्ना के पुत्र नंदा का तथा नंदा की मृत्यु के बाद से वादी भूरीलाल का कब्जा चला आ रहा है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Pw1 स्वंय भूरीलाल के व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के बयानों एवं राजस्व रेकार्ड Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खाता सं0 2 पर ख0नं0 81/24 की 0.01 बीघा, ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा, ख0नं0 65/38 की 4.00 बीघा कुल 3 किता की 15.03 बीघा आराजी अमरा बेटा घांसी का जात धाकड़ बासगांव नाहरगढ़ तह0 किशनगंज खातेदार दर्ज हैं। इस जमाबंदी के का0नं0 12 में ख0नं0 81/24 पर उप कृषक सुक्खा कड़ते पर, ख0नं0 83/35 पर उपकृषक दीपा, धन्ना कड़ते पर, ख0नं0 65/38 पर उप कृषक नाथू बंजारा कड़ते पर दर्ज है। इससे साबित होता है

उपखण्ड अधिकारी
कानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

कि ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा आराजी पर दीपा, धन्ना का कब्जा था व जमाबंदी में बहैसियत उप कृषक दर्ज हो रहा है। Exp7 नकल खसरा गिरदारी सं0 2009 से 2012, Exp8 नकल गिरदावरी सं0 2016 से 2019 में ख0नं0 83/35–37 पर दीपा, धन्ना का कब्जा दर्ज है। Exp10 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032 से 2035 में ख0नं0 89 की 6.11 बीघा व ख0नं0 90 की 4.13 बीघा में जैली धन्ना वल्द पीरू बंजारा अंकित है। इसी प्रकार Exp11 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2051 से 2052, Exp12 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2059 से 2062, Exp13 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2045 से 2046, Exp14 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2055 से 2058, Exp15 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2063 से 2066 में भी फसल काश्त हुई होती रही है। इस प्रकार साबिक ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा हाल ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी पर धन्ना के जीवनकाल में धन्ना का तथा उसके मरने के बाद धन्ना के पुत्र नंदा का तथा नंदा की मृत्यु के बाद से वादी भूरीलाल का लगातार बइल्म प्रतिवादीगण कब्जा चला आना साबित है। वादी ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया है। वहीं प्रति0नं0 1/1 लगा0 1/6, 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। साथ ही प्रति0नं0 3 ने पर्याप्त अवसर के बाद अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

7. आया धन्ना का कब्जा 15.10.55 को जमाबंदी में उप कृषक की हैसियत से दर्ज था। अतः राज0 टीनैंसी एक्ट लागू होने पर धन्ना को उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो गये हैं तथा पूर्व खातेदारान हरला देवा के अधिकार समाप्त हो गये है ?
— वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी में वर्णित तथ्यों के संबंध में Pw1 स्वंय भूरीलाल व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के बयानों एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड Exp1 लगायत Exp16 अनुसार तनकी नं0 1 लगा0 7 में विस्तृत विवेचन होकर यह वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है, जिनके अनुसार ग्राम दुर्जनपुरा की साबिक ख0नं0 83/35 की 11.02 बीघा हाल ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा पर सं0 2015 अर्थात 1955 से उप कृषक/जैली काश्त की हैसियत से दीपा, धन्ना का, इनके बाद धन्ना के पुत्र नंदा का व नंदा के फौत होने पर भूरीलाल का कब्जा होना साबित है। ऐसे में वादी भूरीलाल, धन्ना का पौत्र होने से कब्जा मुखलाफाना के आधार पर यह ग्राम दुर्जनपुरा की आ0ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत नजीने आर.बी.जे.(15)2008 पेज नं0 41 नेतराज एण्ड अदर्स बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2008(2)अनूपकंवर एण्ड अदर्स बनाम् प्रेमकंवर एण्ड अदर्स इस प्रकरण में हूबहू चश्पा होती हैं। ऐसे में यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

8. आया खातेदारान का दावा कब्जे लेने बाबत् दिनांक 13.12.1978 को खारिज हो गया। अतः उक्त दिनांक के बाद से वादी के दादा धन्ना एवं उसके पुत्र नंदा व वादी का कब्जा लगातार ओपन एवं होस्टाईल रूप से लगातार बइल्म प्रतिवादी देवा, हरला व हरला के वारिसान प्रतिवादीगण के चला आ रहा है। अतः कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़

मुखालफाना के अनुसार भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा देवा हरला के अधिकार समाप्त हो गये हैं ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी में वर्णित तथ्यों केसंबंध में तनकी नं0 1 लगा0 7 में विस्तृत विवेचन होकर यह वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। ऐसे में यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

9. आया लगभग अरसा 8 वर्ष पूर्व वादी को रूपयों की जरूरत होने से वादी ने 30000/–रू0 प्रतिवादी डालू पत्र भावसिंह से उधार लिये थे और अपनी ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी 5 वर्ष के लिये उसे जुपाई थी। इन 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वादी ने प्रतिवादी डालू से जमीन का कब्जा छोड़ने के लिये कहा तो वह इंकार हो गया। वादी जेल में बंद हो गया, उसकी हालत का फायदा उठाकर प्रतिवादी डालू ने प्रतिवादी हरला देवा पर एक दावा उपखण्ड अधिकारी खानपुर में दिनांक 06.02.2009 को धारा 88, 89, 91, 209 रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश कर दिया और चुपके से दिनांक 24.02.2009 को डिकी करा लिया जिसकी वादी द्वारा तथा हरला, देवा द्वारा अपील करने पर फैसला उपखण्ड अधिकारी का दिनांक 29.10.2010 को निरस्त कर दिया ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Pw1 स्वंय भूरीलाल के व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के बयानों एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड Exp1 लगायत Exp16 से यह तनकी वादी के पक्ष में साबित होती है। वहीं तनकी नं0 1 लगा0 6 में इस संबंध में विस्तृत विवेचन होकर वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। ऐसे में यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

10. आया डालू प्रतिवादी धन्ना दीपा का किसी प्रकार भी उत्तराधिकारी नहीं है ? वादी ही धन्ना का एक मात्र पुत्र व वारीस है ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। Pw1 स्वंय भूरीलाल के व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के बयानों एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड Exp1 लगायत Exp16 से यह तनकी वादी के पक्ष में साबित होती है। वहीं तनकी नं0 1 लगा0 6 में इस संबंध में विस्तृत विवेचन होकर वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। वहीं प्रतिवादीगण ने पर्याप्त असवर के बाद भी इसके विरोध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसे में यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

11. आया वादी को दिनांक 14.05.2013 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ ? — वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

वाद की मद नं0 13 में यह अंकित किया है " यह कि वादी द्वारा अंतिम बार प्रतिवादी हरला के वारीसान व देवा से आराजी वादी के खाते लगवाने व डालू से कब्जा छोड़ने की कहने पर उसके इंकार हो जाने से दिनांक 14.05.2013 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवादीगण ने आराजी बेचने व रहन रखने की धमकी भी दी यदि प्रतिवादीगण ने जमीन का हस्तान्तरण कर दिया तो वादी को काफी क्षति होगी तथा ओर मुकदमें बाजी में फंसा रहना पड़ेगा। वादी ने तनकी के संबंध में Pw1 स्वंय भूरीलाल के व गवाहान Pw2 पीथालाल बंजारा, Pw3 हरिसिंह बंजारा के दर्ज कराये हैं, जिनसे यह तनकी साबित है। वहीं प्रति0 1/1 लगा0 1/6, 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही प्रति0नं0 3 डालू ने पर्याप्त अवसर के बाद भी इसके विरोध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसे में यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

12. आया प्रति0नं0 4 डालू का कब्जा आराजी मुतनाजा पर अपने पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसके कारण प्रति0नं0 1 व 2 के समस्त अधिकार प्रति0नं0 4 में निहित हो गये हैं और एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रति0नं0 4 खातेदार बन गया है और आराजी पर काबिज है ? --- प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 3 पर था। प्रतिवादी नं 3 ने पर्याप्त अवसर के बाद भी अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वहीं वादी ने अपने जिम्मे की सभी तनकीयात को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। ऐसे में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी नं0 3 व पक्ष में वादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने जिम्मे की तनकीयात को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी अपने वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी भूरीलाल को ग्राम दुर्जनपुरा के माल की ख0नं0 89 की 6.11 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 1 लगा0 6, 2, 3 का नाम इस आराजी से खारिज किया जावे। प्रति0 नं0 3 डालू को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को दिया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ख0नं0 89 रकबा 6.11 बीघा ग्राम दुर्जनपुरा पर भविष्य में कब्जा नहीं करें और न ही रहन बैचान करें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)